ादेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
	शस्त्र वाद सं. 112/2014	
18/12/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।** **जिला विधि प्रशाखा** **राजेश कुमार सिंह, पिता–श्री नन्द कुमार सिंह, सा0–सोनपुर नखास, थाना–सोनपुर, जिला–सारण** **आदेश** प्रस्तुत शस्त्रवाद पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 574/गो0 दिनांक 13.2.12 के द्वारा प्रेषित आवेदक राजेश कुमार सिंह, पिता–श्री नन्द कुमार सिंह, सा0–सोनपुर नखास, थाना–सोनपुर, जिला–सारण के द्वारा एक रिवाल्वर/पिस्टल की अनुज्ञप्ति हेतु दिए गए आवेदन पत्र के जॉचोपरान्त प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात् आरम्भ किया गया है। आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन पर जॉचोपरान्त थानाध्यक्ष, सोनपुर थाना के ज्ञापांक डी.आर. 2271/11 दिनांक 17.11.11 एवं डी.आर. 2322/11 दिनांक 18.11.11, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सोनपुर के ज्ञापांक 2212 दिनांक 23.11.11, अंचलाधिकारी, सोनपुर के पत्रांक 977 दिनांक 27.12.11 तथा अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के पत्रांक 181 दिनांक 3.2.12 के द्वारा निर्गत प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 574/गो0 दिनांक 13.2.12 के द्वारा संलग्न कर प्रेषित किया गया है। दिनांक 11.12.14 को आवेदक की उपस्थिति में सुनवाई की गयी एवं अभिलेख में संधारित पुलिस जॉच प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया गया। आवेदक के द्वारा बताया गया कि उन्हें अपने कारोबार के सिलसिले में देर रात्रि तक पैसा लेकर आना–जाना पड़ता है, जिससे उनके जानमाल पर खतरे की आशंका है। इनके दादा स्व0 विश्वनाथ प्रसाद सिंह के नाम से एक रायफल है, जिसकी सं0 88778 है तथा शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0 1954/1942 है, जो मेसर्स भाई बन्दूक वाला शस्त्र विक्रेता, राजेन्द्र चौक, हाजीपुर, वैशाली में जमा है। इसलिए अपने	

जानमाल पर खतरे की आशंका को देखते हुए उक्त शस्त्र की अनुज्ञप्ति अपने नाम से स्थानान्तरित करने का अनुरोध किया गया।

अभिलेख में रक्षित पुलिस प्रतिवेदन में आवेदक के जानमाल पर खतरे की आशंका से संबंधित स्पष्ट प्रतिवेदन अंकित नहीं था। इसलिए पुलिस अधीक्षक, सारण से स्पष्ट प्रतिवेदन की मॉग की गयी, जिसके प्रसंग में पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 5584 दिनांक 18.12.14 के द्वारा विहित प्रपत्र में खतरे की आशंका से संबंधित प्रतिवेदन अंकित है। इसके अनुसार आवेदक को अपने कारोबार के सिलसिले में देर रात्रि तक पैसा लेकर आना–जाना पड़ता है, जिससे उसके जानमाल पर खतरे की आशंका है। पुलिस अधीक्षक, सारण के द्वारा उक्त प्रतिवेदन को अनुशंसा के साथ प्रेषित किया गया है।

आवेदक के जानमाल की सुरक्षा के लिए शस्त्र अधिनियम की धारा 13 (2–ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक V-11016/16/2009-Arms dated 31-3-2010 जो गृह आरक्षी विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 3026 दिनांक 13.4.2010 के द्वारा प्राप्त है, के आलोक में आवेदक राजेश कुमार सिंह, पिता–श्री नन्द कुमार सिंह, सा0–सोनपुर नखास, थाना–सोनपुर, जिला–सारण को सम्पूर्ण बिहार क्षेत्र में वैधता के साथ उनके दादा के द्वारा धारित रायफल सं0 88778 को आवेदक के नाम से हस्तान्तरित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। आवेदक के दादा के नाम से निर्गत अनुज्ञप्ति स0 1954/1942 को रद्द करने के लिए जिला शस्त्र दंडाधिकारी, सारण अपने प्रशाखा से आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

वाद निष्पादित

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 29 /न्या०/ दिनांक 13/01/2015

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा / जिला शस्त्र दंडाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन० आई० सी०, सारण, छपरा को उक्त आदेश को इस जिले के website पर डालने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता
प्रभारी, जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।